न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–29/2020 दायर दिनाँक 11.09.2020

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. हीराराम दत्तक पुत्र दुलाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी खाखोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. बिडदाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन वकील प्रार्थी।
2. श्री होलेशपुरी व इस्लामुदीन वकील अप्रार्थी ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.07.2021**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 148 रकबा 20.06 बीघा मौजा खाखोली, पटवार हल्का खाखोली, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र नुवां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी सुदा खेत है प्रार्थी के उक्त खेत में उसकी रहवासी ढाणी पक्के मकान बने हुए है जिसमें परिवार सहित रहवास कर रहे है। उक्त खसरा नम्बर 148 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु काई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में [illegible] रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक [illegible] 2021/314 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार आवेदक के खेत ख[illegible] सं0 148 रकबा 20.06 बीघा में जो एकल खातेदारी का खेत है के कोई कटाणी रास्ता नहीं

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतुं रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा सं0 148 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा सं0 147 के पश्चिम में अवस्थित है तथा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नक्शे में दर्शित मार्क A से B सबसे नजदीक रास्ता है जिसकी लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 871X15 फीट कुल 13065 वर्ग फुट कुल 15 बिस्वा का रास्ता बनता है ।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 147 की उत्तरी सिंव मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 148 रकबा 20.06 बीघा वाकै सरहद खाखोली में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/314 दिनाँक 26.03.2021 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 147 वाके सरहद खाखोली में दर्शित मार्क A से B कुल 15 बिस्वा रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/314 दिनाँक 26.03.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:37 IST
Reason: Self Attested

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner